

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

ललन प्रसाद सिंह, भा0व0से0
वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची-834002.

पटना-15, दिनांक-30/5/18

विषय :- श्री अमरेन्द्र पाठक द्वारा गोपालगंज ग्राम+पो०-विजयपुर, मौजा-मिसिर, PWD पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत कुल-0.01275 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव श्री अमरेन्द्र पाठक, पिता-स्व० कपिल देव पाठक, ग्राम+पो०-विजयपुर, तालुका-विजयपुर, जिला-गोपालगंज, पिन-841508 द्वारा समर्पित किया गया है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग की अधिसूचना संख्या-190 (ई०), दिनांक-16.02.1994 के अंतर्गत "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है।

विषयांकित परियोजना में कुल-0.01275 हे० वन भूमि का अपयोजन होना है। पातित होने वाले वृक्षों की संख्या-03 एवं वानस्पतिक घनत्व 0.3 अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र मूल रूप में संलग्न है। अपयोजन प्रस्ताव का टोपो सीट एवं Geo-Referenced Map प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :-

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.01275 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रु० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रु० 7,982/- (सात हजार नौ सौ बीरासी रुपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. हरितावरण को बनाये रखने के लिए 50 (पचास) वृक्षों के रोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03,

दिनांक-01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

4. भारत सरकार के पत्र संख्या-11-29/2004 दिनांक-15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुसार उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।
5. भारत सरकार के पत्र संख्या-11-29/2004 दिनांक-15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक-5-3/2007 दिनांक-18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप प्रयोक्तता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(ललन प्रसाद सिंह)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक : वन भूमि-43/2018...../प0व0, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार/ श्री अमरेन्द्र पाठक, पिता-स्व० कपिल देव पाठक, ग्राम+पो०-विजयपुर, तालुका-विजयपुर, जिला-गोपालगंज, पिन-841508 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(ललन प्रसाद सिंह)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक: वन भूमि-43/2018...../प0व0, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब-साईट पर अपलोड करते हुए तत्संबंधी पार्ट-2 उपलब्ध कराया जाय।

(ललन प्रसाद सिंह)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।